



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112021-230981  
CG-DL-E-09112021-230981

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]  
No. 636]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

**सा.का.नि. 785(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) और धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2021 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 7 के उप-नियम (7) में, परंतुक में, "अग्रिम रसीद" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- मूल नियमों में, अनुसूची-2 में,-  
(1) "2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र)" जहां कहीं भी हो, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) शब्द रखे जाएंगे,

(2) “प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण को जमा किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक के तहत, “क. भौतिक रूप में की गई प्रतिभूतियों के लिए टॉक्यूमेंट्री आवश्यकता” उप-शीर्षक के तहत,-

(i) मद 1 में, “जहां शेयरों को नामांकन के साथ एकल रूप में रखा जाता है”,-

(क) उप-मद '1.1' “नामिती” शब्द के स्थान पर “दावेदार” शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-मद '1.2' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- “दावेदार द्वारा सत्यापित प्रतिभूति धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति”।

(ग) उप-मद '1.4' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

“मूल शेयर प्रमाण-पत्र कंपनी को भेजे जाने हैं और प्रपत्र के साथ स्कैंड प्रति संलग्न की जानी है”।

(ii) मद 2 में, “जहां शेयरों का नामांकन के बिना एकल रूप में रखा गया हो, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं” शीर्षक के तहत,-

(क) उप-मद '2.2' में, खंड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

“उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ख) उप-मद '2.3' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

“आवेदन की तारीख के अनुसार प्रति जारीकर्ता कंपनी 5,00,000 (पांच लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ग) उप-मद '2.3' के पश्चात् और मद '3' से पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण: (1) कंपनी इसके निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-VII के अनुसार प्रति जारीकर्ता 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की सीमा को बढ़ा सकती है, और दावे के सत्यापन के समय प्राधिकरण को संकल्प बोर्ड की प्रति प्रदान करेगी।

(2) ऐसा मामला जिसमें वसीयत का उपबंध है, उनमें निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी:

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र;

(ख) दावेदार के पक्ष में सभी विधिमान्य उत्तराधिकारों द्वारा अनापत्ति पत्र;

(ग) वसीयत की पुष्टि के संबंध में साक्षी द्वारा शपथ पत्र जहां भी जीवित हो या ऐसे साक्षी का मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(घ) अंतिम विल के रूप में विल के संबंध में शपथ-पत्र और किसी भी न्यायालय में विल के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है;

(ङ) अपने पैन कार्ड के साथ कम से कम दो जमानतदारों द्वारा जमानती शपथ-पत्र।

(iii) मद '3' में, शीर्षक के तहत “जहां शेयर एकल रूप से नामांकन के साथ रखे जाते हैं”,-

(क) उप-मद '3.1' में, “नामिती” शब्द को “दावेदार” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद '3.2' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "दावेदार द्वारा सत्यापित प्रतिभूति धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति"।

(ग) उप-मद '3.4' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"मूल शेयर प्रमाण-पत्र कंपनी को भेजे जाने हैं और प्ररूप के साथ स्कैंड प्रति संलग्न की जानी है"।

(iv) मद '4' में, "जहां शेयरों को नामांकन के बिना एकल रूप से रखा गया हो, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है" शीर्षक के तहत,-

(क) उप-मद '4.2' को, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा"।

(ख) उप-मद '4.3' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

आवेदन की तारीख के अनुसार प्रति जारीकर्ता कंपनी 5,00,000 (पांच लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए : उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा"।

(ग) उप-मद '4.3' के पश्चात और उप-मद 'ख' से पहले निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

**"स्पष्टीकरण:** (1) कंपनी इसके निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-VII के अनुसार प्रति जारीकर्ता 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की सीमा को बढ़ा सकती है, और दावे के सत्यापन के समय प्राधिकरण को संकल्प बोर्ड की प्रति प्रदान करेगी।

(2) ऐसे मामले जिनमें वसीयत का उपाबंध है, उनमें निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी:

(क) सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र;

(ख) दावेदार के पत्र में सभी विधिक उत्तराधिकारों द्वारा अनापत्ति पत्र;

(ग) वसीयत की पुष्टि के संबंध में गवाह द्वारा शपथ पत्र जहां भी जीवित हो या ऐसे साक्षी का मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(घ) अंतिम विल के रूप में विल के संबंध में शपथ-पत्र और किसी भी न्यायालय में विल के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है;

(ङ) अपने पैन कार्ड के साथ कम से कम दो जमानतदारों द्वारा जमानती शपथ-पत्र।"

3. मूल नियमों में, अनुसूची 2 में, "प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को जमा किए जाने वाले दस्तावेज" शीर्षक के तहत, "ख. डीमेट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों की डॉक्यूमेंट्री अपेक्षा" उप-शीर्षक के अधीन,-

(i) मद '1' में,-

(क) उप-मद '1.1' में, "नामिती"शब्द को "दावेदार" शब्द के स्थान पर रखा जाएगा।

(ख) उप-मद '1.2' के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्:-

"दावेदार द्वारा सत्यापित प्रतिभूति धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति"।

(ग) उप-मद '1.4' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“दावेदार द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित ट्रांजेक्शन कथन की प्रति”।

(ii) मद '2' में,-

(क) उप-मद '2.2' में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

“उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ख) उप-मद '2.3' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

“आवेदन की तारीख के अनुसार प्रति जारीकर्ता कंपनी 5,00,000 (पांच लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ग) उप-मद '2.3' के पश्चात् और मद '3' से पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

**“स्पष्टीकरण:** (1) कंपनी इसके निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-VII के अनुसार प्रति जारीकर्ता 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की सीमा को बढ़ा सकती है, और दावे के सत्यापन के समय प्राधिकरण को संकल्प बोर्ड की प्रति प्रदान करेगी।

(2) ऐसा मामला जिसमें विल का उपाबंध है, उनमें निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी:

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र;

(ख) दावेदार के पत्र में सभी वैध उत्तराधिकारों द्वारा अनापत्ति पत्र;

(ग) वसीयत की पुष्टि के संबंध में साक्षी द्वारा शपथ पत्र जहां भी जीवित हो या ऐसे साक्षी का मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(घ) अंतिम विल के रूप में विल के संबंध में शपथ-पत्र और किसी भी न्यायालय में विल के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है;

(ङ) अपने पैन कार्ड के साथ कम से कम दो जमानतदारों द्वारा जमानती शपथ-पत्र।

(iii) मद '3' में,

(क) उप-मद '3.1' में, “नामिती”शब्द के स्थान पर “दावेदार” शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-मद '3.2' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- “दावेदार द्वारा सत्यापित प्रतिभूति धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति”।

(ग) उप-मद '3.4' को निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“मूल शेयर प्रमाण-पत्र दावेदार द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित कथन संव्यवहार की प्रति”।

(iv) मद '4' में,-

(क) उप-मद '4.2' खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ख) उप-मद '4.3' को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“आवेदन की तारीख के अनुसार प्रति जारीकर्ता कंपनी 5,00,000 (पांच लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए : उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत की प्रोबेट या वसीयत या प्रशासन का पत्र या डिक्री, जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अन्य डिक्री या आदेश के निबंधनों में लागू हो सकेगा”।

(ग) उप-मद '4.3' के पश्चात और अनुसूची-3 के पहले, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरण: (1) कंपनी इसके निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-7 के अनुसार प्रति जारीकर्ता 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) की सीमा को बढ़ा सकती है, और दावे के सत्यापन के समय प्राधिकरण को संकल्प बोर्ड की प्रति प्रदान करेगी।

(2) ऐसा मामला जिसमें वसीयत का उपाबंध है, उनमें निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी:

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र;

(ख) दावेदार के पक्ष में सभी विधिक उत्तराधिकारों द्वारा अनापत्ति पत्र;

(ग) वसीयत की पुष्टि के संबंध में साक्षी द्वारा शपथ पत्र जहां भी जीवित हो या ऐसे गवाह का मृत्यु प्रमाण-पत्र;

(घ) अंतिम वसीयत के रूप में वसीयत के संबंध में शपथ-पत्र और किसी भी न्यायालय में वसीयत के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है;

(ङ) अपने पैन कार्ड के साथ कम से कम दो जमानतदारों द्वारा जमानती शपथ-पत्र।

4. मूल नियमों में, अनुसूची-3 में, “भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के नुकसान के मामले में प्राधिकरण को जमा किए जाने वाले दस्तावेज”, शीर्षक के अधीन,-

(i) मद-1 में, “नोटरीज्ड” शब्द के स्थान पर “स्व-प्रमाणित” शब्द रखा जाएगा।

(ii) मद-2 में, “निष्पादन की तारीख के अनुसार शेयरों के बाजार मूल्य के बराबर मूल्य” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) मद-4 में, “10,000 रुपये” अक्षरों, अंकों और चिह्नों को “5,00,000 रुपये” अक्षरों, अंकों और चिह्नों को रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, अनुसूची-4 में, “दावों का निपटान करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया” शीर्षक के तहत, मद '2' में,-

(i) उप-मद (iv) का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-मद (ix) में, “कंपनी के अनक्लेम्ड उच्चत खाते की ट्रांजेक्शन कथन का सत्यापन। किसी भी समय, प्रत्येक निदेशक का ब्यौरा, जिसके शेयर अनक्लेम्ड उच्चत खाते से स्थानांतरित किए गए हैं, जमाकर्ता से मांगा जा सकता है।” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-मद (x) में, “आईईपीएफ-1” या आईएनवी-1 या आईईपीएफ-1क” के बाद और “.” चिह्न के पहले “या आईईपीएफ-7” अक्षरों, चिह्नों, अंकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

6. मूल नियमों में, आईईपीएफ-5 प्ररूप के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा; अर्थात् :-

प्ररूप संख्या आईपीएफ-5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) से संदत्त रकम और शेयरों के दावे के लिए प्राधिकरण को आवेदन

## 1. आवेदक की विशिष्टियां

- |                       |          |      |
|-----------------------|----------|------|
| (क) *आवेदक की प्रवर्ग | वैयक्तिक | अन्य |
|-----------------------|----------|------|
- (ख) \*प्रथम नाम
- (ग) मध्य नाम
- (घ) \*अंतिम नाम
- (ङ) \*पिता का प्रथम नाम
- (च) \*पिता का मध्य नाम
- (छ) \*पिता का अंतिम नाम
- (ज) \*जन्म की तारीख
- (झ) \*संस्था का नाम
- (ञ) \*निगमन की तारीख
- (ट) \*आवेदक का पता
- (ठ) दूरभाष संख्या
- (ड) \*मोबाइल संख्या
- (ढ) \*ई-मेल आईडी
- (ण) मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें
- (त) ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें
- (थ) \*आधार संख्या या पासपोर्ट/ओसीआई/पीआईओ कार्ड नंबर (एनआरआई/विदेशी नागरिकों के मामले में)
- (द) \*आवेदक का पैन

## 2. उस कंपनी की विशिष्टियां जिससे रकम देय है

- (क) \*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
- (ख) कंपनी का नाम
- (ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- (घ) कंपनी का ई-मेल आईडी

3. क्या यह मामला आईईपीएफ नियम, 2016 के नियम 7(8) और 7(9) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

oहां oनहीं

(क) मूल प्रतिभूति धारक का नाम

(ख) प्रतिभूति धारक के साथ दावेदार का संबंध

(ग) नामिति संख्या/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी / प्रशासक / अन्य धारक

हिताधिकारी का नाम

i. ....

ii. ....

iii. ....

#### 4 दावे का प्रकार

रकम

रकम और शेयर

5. दावा किए गए शेयरों का ब्यौरा (एक कंपनी के लिए एक से अधिक पन्ने जोड़े जा सकते हैं)

पन्ने की संख्या

धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिससे आईईपीएफ में अंतरण किया गया है	शेयर का प्रकार	शेयरों की संख्या
	पृष्ठ सं. डीमेट खाता		

#### 6. दावा ब्यौरा

\*दावों की संख्या

प्रतिभूतियों/जमाओं का वर्षवार ब्यौरा जिनके लिए दावा किया गया है

दावे का प्रकार	धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ को हस्तांतरण किया गया	दावे की रकम	वित्तीय वर्ष जिससे दावा संबंधित है	प्राप्ति न किए जाने के कारण
		पृष्ठ सं.	मूल रकम		
		डीमेट खाता	ब्याज		

#### 7. प्रतिदाय खाते का ब्यौरा

बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिदाय रकम जमा की जाएगी

बैंक खाता संख्या बैंक का नाम

आईएफएससी कोड

बैंक शाखा

डीमेट खाता संख्या जिसमें शेयर जमा किए जाएंगे।

8. (क) \*दावेदार के आधार कार्ड की प्रति और

यदि संयुक्त धारक हैं तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति	_____ (ब्राउज़)
(ख) *पासपोर्ट की प्रति, ओसीआई और पीआईओ कार्ड सं. विदेशियों/एनआरआई के मामले में	_____ (ब्राउज़)
(ग) *दावेदार के डीमेट खाते की ग्राहक मास्टर सूची	_____ (ब्राउज़)
(घ) *पात्रता का प्रमाण (बंधपत्र/डिबेंचर्स/नियत जमा प्रतियां/शेयर का प्रमाण-पत्र/ब्याज अधिपत्र/लाभांश अधिपत्र, आवेदन संख्या/संव्यवहार का कथन इत्यादि)	_____ (ब्राउज़)
(ङ) मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति	_____ (ब्राउज़)
(च) स्वप्रमाणित उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/प्रोबेट/विल	_____ (ब्राउज़)
(छ) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र	_____ (ब्राउज़)
(ज) क्षतिपूर्ति बंध-पत्र एवं प्रतिभू शपथ-पत्र	_____ (ब्राउज़)
(झ) अन्य	_____ (ब्राउज़)

### घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि शेयर और/अथवा इस पत्रे के अंतर्गत दावा की गई रकम और/अथवा इस कंपनी की ओर से किसी पूर्ववर्ती अवसर पर किसी वित्तीय वर्ष के लिए मैंने कोई दावा नहीं किया है/दावा नहीं करूंगा।

मैं समझता हूँ कि मैं, दावेदार हूँ और इस प्ररूप ऑनलाइन में प्रतिदाय दावा फाइल करने के बाद, दावे के लिए सत्यापन आरंभ करने हेतु "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा" चिह्नित एक लिफाफे में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कंपनी के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) के लिए नीचे विहित संलग्नक भेजूंगा।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्ररूप जिसमें दावेदार के हस्ताक्षर हों, और यदि संयुक्त धारक शामिल हों तो प्ररूप पर, प्ररूप प्रस्तुत करने के संलग्नकों के साथ संयुक्त धारकों के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
2. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 अपलोडिंग करने के पश्चात् अभिस्वीकृति की प्रति
3. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 अपलोडिंग करने के पश्चात् स्वतः उत्पन्न क्षतिपूर्ति बंधपत्र की प्रति उचित स्टांप के शुल्क के भुगतान के साथ सहित दावेदारों के हस्ताक्षर हों (स्टांप शुल्क के लिए सहायक अनुदेशिका देखें)
4. अवधिपूर्ण जमा या डिबेंचर या बंधपत्र या शेयरों का जिनका (भौतिक रूप में) दावा किया गया है, के मामले में मूल प्रमाण-पत्र/शेयरों के अतिरिक्त शेयरों को प्रस्तुत करना
5. मूल रद्द चैक की प्रति
6. किसी संयुक्त धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
7. अन्य वैकल्पिक दस्तावेज, (यदि कोई हों)

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो उल्लेख यह उल्लेख करता है कि-



“अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय यदि कोई विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय कथन, विवरणी, ब्यौरे या अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो या अधिनियम के किसी उपाबंधों के उद्देश्य के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कथन करता है,-

(क) जो कि तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है जिसे मिथ्या होने का ज्ञान है; या

(ख) जो कोई तात्विक तथ्य को छुपाता है जिसका तात्विक होने का ज्ञान है, वह धारा 447 के अधीन दायी होगा।”

[फा.सं.05/1/2021-आईपीएफ]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 की सा.का.नि. 1267(अ), सा.का.नि. 472(अ) तारीख 22.05.2018, सा.का.नि. 343(अ) तारीख 01 मई, 2019, सा.का.नि. 571(अ) तारीख 14 अगस्त, 2019 और सा.का.नि. 396(अ) तारीख 9 जून, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

**G.S.R. 785 (E).**— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2021.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the Principle Rules), in rule 7, in sub-rule (7), in the proviso, the words “Advance Receipts”, shall be omitted.
- 3 In the Principal Rules, in Schedule II, -
  - (1) for the words, figures and bracket, “Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only),” wherever occurring, Rs 5,00,000 (Rupees five lakh only), shall be substituted.
  - (2) under heading, “Documents to be submitted to the Authority to register transmission of securities”, under sub-heading “ A. Documentary requirement for securities held in physical mode”, -
    - (i) in item 1, under the heading, “Where the shares are held singly with nomination, -
      - (a) in sub-item ‘1.1’, for the word, “nominee”, the word, “claimant” shall be substituted;
      - (b) for sub-item ‘1.2’, the following shall be substituted, namely: -  
“Copy of death certificate of security holder attested by claimant.”
      - (c) for sub-item ‘1.4’, the following shall be substituted, namely: -  
“The original share certificate is to be sent to the company and scanned copy to be attached with the form”.
    - (ii) in item 2, under the heading, “Where the shares are held singly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 1 are required,”-
      - (a) in sub-item ‘2.2’, for clause (a), the following shall be substituted, -

“Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal”.

(b) for sub-item, ‘2.3’, the following shall be substituted, namely: -

“For value of securities more than 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal.”.

(c) after sub-item ‘2.3’ and before item ‘3’, the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation: (1) The Company may enhance the limit of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company in accordance with SCHEDULE VII of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after taking approval of its Board of Directors and provide copy of Board resolution to Authority at the time of verification of claim.

(2) for the case where will is provided, following documents shall also be required:

(a) Legal heirship certificate issued by Competent Authority;

(b) No Objection Certificate from all legal heirs in favor of the claimant;

(c) Affidavit from witness about confirmation of will wherever alive or death certificate of such witness;

(d) Affidavit with regard to the will as last will and no matter is pending before any court with regard to such will;

(e) Surety affidavit by at least two sureties with their PAN Card.”.

(iii) in item ‘3’, under the heading “Where the shares are held jointly with nomination”, -

(a) in sub-item ‘3.1’, for the word, “nominee”, the word, “claimant” shall be substituted;

(b) for sub-item ‘3.2’, the following shall be substituted, namely: -

“Copy of death certificate of security holder attested by claimant.”

(c) for sub-item ‘3.4’, the following shall be substituted, namely: -

“The Original share certificate is to be sent to the company and scanned copy to be attached with the form”.

(iv) in item ‘4’, under the heading, “Where the shares are held jointly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 3 are required”, -

(a) for sub-item ‘4.2’, the following shall be substituted, -

“Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal”.

(b) for sub-item ‘4.3’, the following shall be substituted, namely: -

“For value of securities more than 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal.”.

(c) after sub-item ‘4.3’, and before sub-heading ‘B’ the following explanation shall be inserted, namely: -

“Explanation: (1) The Company may enhance the limit of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company in accordance with SCHEDULE VII of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after taking approval of its Board of Directors and provide copy of Board resolution to Authority at the time of verification of claim.

(2) for the case where will is provided, following documents shall also be required:

(a) Legal heirship certificate issued by Competent Authority;

- (b) No Objection Certificate from all legal heirs in favor of the claimant;
- (c) Affidavit from witness about confirmation of will wherever alive or death certificate of such witness;
- (d) Affidavit with regard to the will as last will and no matter is pending before any court with regard to such will;
- (e) Surety affidavit by at least two sureties with their PAN Card.”.
3. In the Principal Rules, in Schedule II, under heading, “Documents to be submitted to the Authority to register transmission of securities”, under sub-heading “B. Documentary requirement for securities held in DEMAT mode”,-
- (i) in item ‘1’: -
- (a) in sub-item ‘1.1’ for the word, “nominee”, the word, “claimant” shall be substituted;
- (b) for sub-item ‘1.2’, the following shall be substituted, namely: -  
“Copy of death certificate of security holder attested by claimant.”
- (c) for sub-item ‘1.4’, the following shall be substituted, namely: -  
“Copy of transaction statement duly attested by Claimant.”.
- (ii) in item ‘2’, -
- (a) in sub-item ‘2.2’, for clause (a), the following shall be substituted, -  
“Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal”.
- (b) for sub-item, ‘2.3’, the following shall be substituted, namely: -  
“For value of securities more than 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal.”.
- (c) after sub-item ‘2.3’ and before item ‘3’, the following explanation shall be inserted, namely: -  
“Explanation: (1) The Company may enhance the limit of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company in accordance with SCHEDULE VII of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after taking approval of its Board of Directors and provide copy of Board resolution to Authority at the time of verification of claim.  
(2) for the case where will is provided, following documents shall also be required:
- (a) Legal heirship certificate issued by Competent Authority;
- (b) No Objection Certificate from all legal heirs in favor of the claimant;
- (c) Affidavit from witness about confirmation of will wherever alive or death certificate of such witness;
- (d) Affidavit with regard to the will as last will and no matter is pending before any court with regard to such will;
- (e) Surety affidavit by at least two sureties with their PAN Card.”.
- (iii) in item ‘3’, -
- (a) in sub-item ‘3.1’ for the word, “nominee”, the word, “claimant” shall be substituted;
- (b) for sub-item ‘3.2’, the following shall be substituted, namely: -  
“Copy of death certificate of security holder attested by claimant.”
- (c) for sub-item ‘3.4’, the following shall be substituted, namely: -  
“Copy of transaction statement duly attested by Claimant.”.

- (iv) in item '4', -
- (a) in sub-item '4.2', for clause (a), the following shall be substituted, -  
 "Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal".
- (b) for sub-item '4.3', the following shall be substituted, namely: -  
 "For value of securities more than 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or will or letter of administration or Decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925) or any other Decree or Order of any Court or Tribunal."
- (c) after sub-item '4.3', and before Schedule III, the following explanation shall be inserted, namely: -  
 "Explanation: (1) The Company may enhance the limit of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per issuer company in accordance with SCHEDULE VII of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, after taking approval of its Board of Directors and provide copy of Board resolution to Authority at the time of verification of claim.  
 (2) for the case where will is provided, following documents shall also be required:  
 (a) Legal heirship certificate issued by Competent Authority;  
 (b) No Objection Certificate from all legal heirs in favor of the claimant;  
 (c) Affidavit from witness about confirmation of will wherever alive or death certificate of such witness;  
 (d) Affidavit with regard to the will as last will and no matter is pending before any court with regard to such will;  
 (e) Surety affidavit by at least two sureties with their PAN Card."
4. in the Principal Rules, in Schedule III, under the heading, "Documents to be submitted to the Authority in case of loss of securities held in physical mode", -
- (i) in item '1', for the word, "Notarised", the word, "Self attested", shall be substituted;
- (ii) in item '2', the words, "value equal to market value that of shares as on date of execution", shall be omitted;
- (iii) in item '4', for letters, figures and symbols, "Rs 10,000", the letters, figures and symbols, "Rs 5,00,000" shall be substituted.
5. in the Principal Rules, in Schedule IV, under the heading, "Procedure to be followed while disposing the claims", in item '2', -
- (i) sub-item (iv) shall be omitted;
- (ii) in sub-item (ix), the words, "verification of transaction statement of the unclaimed suspense account of the company. At any point of time, details of every investor whose shares have been transferred from unclaimed suspense account, may be called from depository." shall be omitted.
- (iii) in sub-item (x), after letters, symbols, figures and words, "IEPF-1 or INV-1 or IEPF-1A" and before the symbol, ".", the word, letters, symbol and figure, "or IEPF-7" shall be inserted.
6. in the Principal Rules, for the Form No. IEPF-5, the following Form shall be substituted:-



(b) Name of the company

(c) Address of registered office of the company

(d) Email id of the company

3. Is it a case covered under rule 7 (8) & 7(9) of IEPF Rules, 2016

Yes

No



(a) Name of original security holder

(b) Relation of claimant with security holder

(c) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/

Administrator/ Others holders.

Name of Beneficiary
i.
ii.
ii.

#### 4. Type of Claim

Amount

Amount and Shares

#### 5. Details of shares claimed (More than one Folio for one company can be added)

Number of Folio

Type of holding	Folio No./ Complete Demat Account Number from which transfer has been made to IEPF	Type of share	Number of shares
	<input type="text"/> Folio No. <input type="text"/> Demat A/c No		

#### 6. Claim Details

\*Number of claims

## Year wise details of securities / deposits for which the amount is claimed

Type of Claim	Type of holding	Folio No./Complete Demat account number from which transfer has been made to IEPF	Amount of the claim	Financial Year to which claim relates	Reason for non-receipt
		<input type="text" value="Folio"/>	<input type="text" value="Principle"/>		
		<input type="text" value="Demat A/c No"/>	<input type="text" value="Interest"/>		

## 7. Refund Account Details

## Details of Bank account in which refund shall be credited

Bank account number  Bank Name  IFSC Code  Bank Branch

## Demat account number in which shares shall be credited

8 (a) \*Copy of Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhar card of all joint holders

(b) \*Copy of Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI

(c) \*Client Master List of De-mat A/c of the claimant

(d) \*Proof of entitlement (Bonds/Debentures/Fixed Deposit receipts/ Certificate of share/Interest warrant/Dividend warrant, Application No./Statement of transaction etc.)

(e) Self-attested copy of death certificate

(f) Succession Certificate/Probate/will

(g) No Objection Certificate from Other holder

(h) Indemnity Bond & Surety Affidavit

(i) Others

**Declaration**

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial year on any earlier occasion for this company.

I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked “claim for refund from IEPF Authority” for initiating the verification for claim

1. Print out of duly filled claim form with claimant signature and if joint holders are involved than the Form should be signed by all the joint holders along with annexures submitted with form
2. Copy of acknowledgement generated after uploading the claim Form IEPF 5.
3. Copy of Indemnity Bond (original) auto generated after uploading the claim Form IEPF 5 with claimant signature and proof of payment of applicable stamp duty (Refer Help Kit for Stamp Duty Details).
4. In case of refund of matured deposit or debenture or bond or where shares (in physical form) are claimed, original certificate/shares thereto.
5. Original Cancelled Cheque leaf.
6. In case any Joint holder is deceased, Copy of Death certificate to be attached.
7. Other optional documents, (if any)

**Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-**

**“Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-**

- (a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or
- (b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447.”

Submit

[F. No. 05/1/2021-IEPF]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R. 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R. 1267 (E) dated 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E) dated 22.05.2018, G.S.R. 343(E) dated 1st May, 2019, G.S.R. 371(E) dated 14th August, 2019 and G.S.R. 396(E) dated 09th June, 2021.